भाग तीन: खण्ड छः

वन्य जीव (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कब्जे के लिये विनिर्दिष्ट पादप शर्त) नियम 1995

पर्यावरण और वन मंत्रालय अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 349 (**अ) दिनांक** 7 **अप्रैल** 1995 **भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग** 2 **खण्ड** 3 (i) **दिनांक** 18-4-95 **पृष्ठ** 3-4 **पर प्रकाशित।**

केन्द्रीय सरकार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 **का** 53) **की धारा** 63 **की उपधारा (**1) **के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न नियम बनाती है अर्थात:**

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ - (**1) **इन नियमों का संक्षिप्त नाम वन्य जीव (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कब्जे के लिए विनिर्दिष्ट पादप शर्त) नियम** 1995 **है।**

(2) **ये नियम वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 **के अध्याय** 3-**क के उपबंधों के प्रारम्भ की तारीख से प्रवृत्त होगे।**

2. **परिभाषा - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम से तात्पर्य वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम**, 1972 (1972 **का** 53) **अभिप्रेत है।**

3.**वे शर्तें और अन्य विषय जिन के अधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी अपनी अभिरक्षा या कब्जे में किन्हीं विनिर्दिष्ट पादपों को रख सकेगा - (**1) **कोई अनुज्ञप्तिधारी, किसी विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पन को अर्जित नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा या अपने नियंत्रण, अभिरक्षा या कब्जे में नहीं रखेगा जिसकी बाबत अधिनियम की धारा** 17 **ङ के अधीन घोषणा न की गई हो।**

(2) **कोई अनुज्ञप्तिधारी, विनिर्दिष्ट पादपों के अनुज्ञप्ति व्यौहारी या अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट पादपों को खेती के लिए कोई अनुज्ञा रखने वाले किसी खेतिहर से भिन्न किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट पादप या उसके भाग या व्युत्पत्ती अर्जित नहीं करेगा, क्रय नहीं करेगा या प्राप्त नहीं करेगा।**

(3) **अनुप्तिधारी अपने द्वारा इस प्रकार क्रय किए गए विनिर्दिष्ट पादपों के स्टाक को राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा अनुमोदित परिसर में ही रखेगा।**